## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 137/2024

अनवान : –

1. पूर्णराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर।

– सायल

**बनाम्**

1. किरण देवी पत्नी सुरेश कुमार जाति कलाली निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

**<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>**
**<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>**

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

<u>निर्णय</u> दिनांक: 5/8/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 203/198 के ख0न0 298/104 की कुल 2.0740 हैक्ट भूमि सायला के नाम है एवं खाता स0 23/23 के ख0न0 104/302 की कुल 2.7950 हैक्ट भूमि गैरसायला स0 1 के नाम दर्ज है।

कार्यालय सा0नि0वि0 खण्ड नोहर द्वारा पत्र क्रमांक 250 दिनांक 13.05.2024 को श्रीमान अदालत में पेश किया गया जिसमें श्रीमान अदालत द्वारा सभी काश्तकारों की रिपोर्ट ली जाकर नोहर रावतसर सड़क हेतु भूमि अवाप्त हुई तथा गैरसायला स0 1 ने स्वयं ने समर्पणनामा देकर भूमि समर्पण करवायी थी। वाद भूमि मुताबिक समर्पणनामा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुकी है। गैरसायल स0 1 उक्त समर्पित व राजकीय भूमि पर अवैध रूप से निर्माण करना चाहती है अगर निर्माण हो जाता है तो सड़क का कोई महत्व नही रहेगा। गैरसायला स0 1 सड़क की भूमि पर अवैध रूप से निर्माण करना चाहती है अगर गैरसायला स0 1 अपने मकसद मे कामयाब हो जाती है तो सभी काश्तकारों को अपूर्णीय क्षति होगी अतः गैरसायल स0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे की अवाप्तशुदा भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण न करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 23/23 के ख0न0 104/302 की कुल 2.7950 हैक्ट भूमि की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई की संभावित सड़क के लिए अवाप्त/समर्पित की गई भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण न करे एवं रास्ता/सड़क की भूमि में बाधा पैदा न करे।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता [illegible]ना पत्र इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक राजासर तहसील [illegible] खसरा न0 104/302 की 2.7950 हैक्ट भूमि गैरसायला स0. [illegible] राजस्व रिकार्ड है। [illegible]ाद भूमि की गैरसायला रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। गैरसायल[illegible] उत्तरदाता द्वारा स्वयं सड़क हेतु भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:40:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

समर्पित की गई है। समर्पित भूमि में किसी प्रकार का निर्माण नही किया जा रहा है प्रार्थी द्वारा केवल मनगढ़त व झुठे कथन दर्ज किये गये है। समर्पण शुदा भूमि पर पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क का निर्माण किया हुआ है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हम हमारे काश्तकारी हकूको का हनन होता है इसलिए प्रार्थना पत्र सायला खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक हिस्सा व कब्जा मूल वाद के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 203/198 के ख0न0 298/104 की कुल 2.0740 हैक्ट भूमि सायला के नाम है एवं खाता स0 23/23 के ख0न0 104/302 की कुल 2.7950 हैक्ट भूमि गैरसायला स0 1 के नाम दर्ज है वाद भूमि सायल एव गैरसायल दोनो के नाम पृथक पृथक खाता में दर्ज है जिसमें से सार्वजनिक सडक के लिये सर्म्पण की जाकर भूमि सार्वजनिक निर्माण को दी जा चुकी है अर्थात सायल एव गैरसायल की भूमि में से सडक बनाई जानी प्रस्तावित है जो सार्वजनिक कार्य है जिसे सुरक्षित रखा जाना अति आवयक है उभयपक्षों को राजकीय भूमि पर वाद /प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नही है यदि राजकीय भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि है के सम्बध में सम्बधित विभाग कार्यवाही कर सकता है अन्य नही।

अतः अगर निषेधाज्ञा जारी होती है तो रिकार्डेड खातेदार होने के कारण सबसे अधिक असुविधा भी सायल की तुलना में गैरसायलान को होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में बखूबी साबित है इसलिए अप्रार्थीगण जो की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 13.06.2024 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 5/8/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:40:50 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर